रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-17032023-244454 CG-DL-E-17032023-244454

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1216] No. 1216] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 17, 2023/फाल्गुन 26, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 17, 2023/PHALGUNA 26, 1944

## श्रम और रोजगार मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2023

का.आ. 1265(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि, लोक हित में ऐसा करना अपेक्षित है कि खिनज तेल (कच्चा तेल), मोटर और विमानन स्पिरिट, डीजल तेल, मिट्टी का तेल, ईंधन तेल, विविध प्रकार के हाइड्रोकार्बन तेल और उनके सिमश्रण, जिनके अंतर्गत कृत्रिम ईंधन, स्नेहक तेल और उसी प्रकार के ईंधन और तेल भी हैं, के विनिर्माण या उत्पादन में लगी हुई सेवाएँ जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची के मद 26 के अधीन आती है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा होंगी;

और, केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4049(अ), तारीख 30 अगस्त, 2022 द्वारा अंतिम रूप से, तारीख 28 अगस्त, 2022 से छह मास की अवधि के लिए उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, लोक उपयोगी सेवा घोषित किया है;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि, उक्त उद्योग की लोक उपयोगी सेवा प्रास्थिति को छह मास की और अवधि के लिए बढ़ाया जाना लोक हित में अपेक्षित है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उप खंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खिनज तेल (कच्चा तेल) मोटर और विमानन स्पिरिट, डीजल तेल, मिट्टी का तेल, ईंधन तेल, विविध प्रकार के हाइड्रोकार्बन तेल और उनके मिश्रण जिनके अंतर्गत कृत्रिम ईंधन, स्नेहक तेल और उसी प्रकार के ईंधन और तेल भी हैं, के विनिर्माण या उत्पादन में लगी हुई उद्योग की सेवाओं को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तारीख 28 फ़रवरी, 2023 से छह मास की अविध के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/2/2018-आईआर(पीएल)]

दीपिका कच्छल, संयुक्त सचिव

1781 GI/2023 (1)

# MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 2023

**S.O. 1265(E).**—Whereas the Central Government is satisfied that public interest so requires that the services engaged in manufacture or production of mineral oil (crude oil), motor and aviation spirit, diesel oil, kerosene oil, fuel oil, diverse hydrocarbon oils and their blends including synthetic fuels, lubricating oils and the like, which is covered under items 26 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be public utility service for the purposes of the said Act;

And whereas the Central Government has lastly declared the said industry to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 28<sup>th</sup> August, 2022, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, number S.O. 4049(E), dated the 30<sup>th</sup> August, 2022;

And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industry for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the services of the industry engaged in the manufacture or production of mineral oil (crude oil), motor and aviation spirit, diesel oil, kerosene oil, fuel oil, diverse hydrocarbon oils and their blends including synthetic fuels, lubricating oils and the like to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from  $28^{th}$  February, 2023.

[F. No. S-11017/ 2 / 2018- IR (PL)] DEEPIKA KACHHAL, Jt. Secy.